रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/95 REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 1995/भाद्र 27, 1917
No. 43] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 1995/BHADRA 27, 1917

आन्ध्रा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

(केन्द्रीय कार्यालय, कार्मिक विभाग)

शुद्धि पत्र

हैदराबाद, 24 अगस्त, 1995

सं. 666/20/विधि/407---बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्रा बैंक का निदेशक बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नौकरी को स्वीकार करने संबंधी विनियम 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुख्य विनियम कहा गया है) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन विनियमों को आन्ध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नौकरी को स्वीकार करने संबंधी (संशोधित) विनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियमों का विनियम 4 उसके उप-विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार उप-विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित करने और उसके परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(2) जहां किसी अधिकारी कर्मचारी ने उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, के पास पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन किया हो, बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी या तो गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को अनुमति देगा, या कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी अनुमति देने से इंकार कर सकता है ।

परंतु यह कि जहां बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी आवेदक से उसे प्राप्त हुए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के अन्दर-अन्दर आवेदक को अपनी स्वीकृति या इंकार की सूचना नहीं देता है, तो गैर-सरकारी उपाउद्यम में रोजगार प्राप्त करने के लिए उसे बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति माना जाएगा ।

परंतु यह भी कि जहां बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी ने कर्मचारी से और सूचना या स्पष्टीकरण मांगा हो, तो अपेक्षित सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में कर्मचारी द्वारा ली गई अवधि को नब्बे दिन की उपर्युक्त अवधि की गणना से उसे अलग रखा जाएगा ।"

सी॰ एच॰ राजा राव, महा प्रबन्धक (कार्मिक)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1995